न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 31/2019 RCMS No.—2019/00096

1. बनवारी पुत्र स्व0 भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र स्व. भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. शिवराज पुत्र स्व. हरजी, जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. मोनू पुत्र स्व. हरजी, जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. विमला देवी पत्नी स्व. हरजी, जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र स्व. श्रीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामदयाल पुत्र स्व. श्रीनारायण जाति जाट, निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय तहसीलदार सांगानेर दिनांक 22.06.2018

—

उपस्थितः–
1. श्री योगेन्द्र सिंह राजावत अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री विनोद सिंह पंवार, अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या एक एवं दो की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.10.2019

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट की वाके ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर स्थित आराजीयात कुल किता 9 कुल रकबा 3.72 हैक्टेयर के विभाजन आदेश दिनांक 22.06.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.07.2019 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद सिंह पंवार उपस्थित आये तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि हाल खाता संख्या 23 के खसरा नंबर 135 रकबा 1.01 है0, ख.न. 136 रकबा 0.46 है0, ख. न. 137 रकबा 0.28 है., ख.न. 138 रकबा 0.81 है., ख.न. 139 रकबा 0.05 है0, ख.न. 140 रकबा 0.02 है0, ख.न. 143 रकबा 0.13 है., ख.न. 144 रकबा 0.47 है0 तथा ख.न. 145 रकबा 0.49 है0 कुल किता खसरा नंबर 9 कुल रकबा 3.72 हैक्टेयर ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है। अपीलांट्स का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा है जिसमें से अपीलांट संख्या 1 का हिस्सा 1/6 हिस्सा, अपीलांट संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 3 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त आराजी में अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स का 1/2–1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी का अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट ने मनबट से 1/2–1/2 हिस्सो में मनबट से कब्जे काश्त कर रखी है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित है। उक्त आराजी को कब्जे काश्त में विभाजित करने के लिए अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट ने आपसी सहमति से विभाजन का नक्शा तैयार किया जिसमें प्रत्येक पक्षकार को मिलने वाली भूमि एक–जाई हो तथा भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध हो इस हेतु नक्शे में विभिन्न रंगो से पक्षकारों के हिस्से में आने वाली भूमि व रास्ते की भूमि को प्रदर्शित किया। अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट ने ग्राम अजयराजपुरा में लगे राजस्व कैम्प में निर्धारित प्रक्रियानुसार विभाजन करवा लिया। अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट विश्वस्त थे कि आपसी सहमति के आधार पर तैयार नक्शे के आधार पर ही विभाजन हो जायेगा। दिनांक 28.06.2018 को अपीलांट्स ने पटवारी हल्का से अपनी भूमि की जमाबन्दी व नक्शे की नकल ली तो उन्हें जमाबन्दी व नक्शे को पढने व समझने से पता चला कि अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट के मध्य हुए समझौते के अनुसार विभाजन न होकर पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन अलग तरीके से कर दिया गया जिसमें प्रत्येक खेत के दो टुकडे कर दिये गये है व जिसमें भी रकबा कम ज्यादा कर दिया गया है। अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट इतने पढे लिखे नहीं है कि वे विभाजन प्रस्ताव को पढते व समझते एवं न ही राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व अभियान के दौरान उन्हे समझाया गया अपितु यही कहा गया जो नक्शे की फोटोकॉपी उन्होंने दी है उस अनुसार जमीन का बंटवारा हो जायेगा। अपीलांट्स को उक्त गलत विभाजन की कार्यवाही का ज्ञान होते ही माननीय न्यायालय में विभाजन आदेश दिनांक 22.06.2018 के विरूद्व अपील पेश की है। रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर सहमति व्यक्त की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06. 2018 को निरस्त किया जाकर उसके तहत की गई विभाजन की कार्यवाही को रद्द कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारो की सुनवाई की जाकर पक्षकारो के

आपसी सहमति के आधार पर तैयार किये गये नक्शे के आधार पर पुनः विभाजन करने व उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो ने अधिवक्ता अपीलांट के कथनो एवं अपील पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 22.06.2018 के आधार पर किये गये विभाजन को निरस्त फरमाया जाकर पक्षकारो के सहमति के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि पक्षकारान की सहमति होने से प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 22.06.2018 को अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स की अपीलाधीन भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 3.72 हैक्टेयर वाके ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर का विभाजन आदेश पारित किए गये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट की सहमति के आधार पर विभाजन नक्शे एवं राजीनामें अनुसार नहीं किया गया जिससे पक्षकारो के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने भी अपील स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 व 2 दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित आये जिनके द्वारा दिनांक 22.06.2018 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा किये गये विभाजन से असहमति व्यक्त करते हुए पुनः विभाजन किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में पक्षकारान सहमत होने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार जाकर ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर स्थित अपीलाधीन भूमि के संबंध में तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 22.06.2018 को निरस्त करते हुए पत्रावली तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट की सुनवाई की जाकर, उनकी सहमति के आधार पर पुनः नियमानुसार विभाजन आदेश पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.11.18 13:59:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: